प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखों और संघ सरकार के विनियोजन लेखों की नमूना लेखा परीक्षा से उद्भूत मामले शामिल हैं।